विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित डॉ0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
5(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विद्यालय के भवन निर्माण के लिए नींव खुदाई के लिए जो खुदाई की जाती है उसके लिए उत्तर प्रदेश खनिज विभाग से कोई अनापत्ति लेनी पड़ती है?	भवन निर्माण के लिए नींव खुदाई हेतु खनिज विभाग से कोई अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।
(ख) यदि कोई अनापत्ति ली जाती है तो वह कैसे ली जाती है एवं इसके लिए क्या नियम है?	लागू नहीं।
(ग) यदि विद्यालय के द्वारा भवन निर्माण के लिए नींव खोदने के लिए मिट्टी हटाई जाती है तो उस पर किसी प्रकार का जुर्माना या सजा का प्राविधान है?	उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (यथासंशोधित) के नियम 53(1) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:- "इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी भवन या किसी विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में पाया गया कोई खनिज ऐसी परियोजना के निष्पादन की प्रक्रिया में निकाला जाना हो, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के आधार पर उसका निस्तारण या उपभोग किया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि गैर वाणिज्यिक

	निजी आवासीय भवन उक्त से छूट प्राप्त होंगे उक्त नियमावली, 2021 के नियम 72(2) का उल्लंघन पर नियम 72(6) के अनुसार शास्ति का प्राविधान है।
(घ) इसका समस्त विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।